भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 756
29 नवंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष डॉक्टरों की कमी

756. श्री मलैयारासन डी.:
श्री थरानिवेंथन एम. एस.:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आयुष डॉक्टरों की कमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में डॉक्टरों की संख्या में वर्तमान अनुमानित कमी कितनी है;
(ख) इस कमी को दूर करने और देश में आयुष चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है;
(ग) वर्तमान में कल्लाकुरिची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित तमिलनाडु के ग्रामीण और कम सेवा वाले क्षेत्रों में कितने आयुष डॉक्टर कार्य कर रहे हैं;
(घ) क्या सरकार भविष्य में आयुष डॉक्टरों के प्रशिक्षण, भर्ती और उन्हें बनाए रखने में सुधार के लिए कोई उपाय शुरू करने की योजना बना रही है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): जी नहीं।

(ख): चूंकि जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है, अत: देश में आयुष चिकित्सकों की संख्या को बढ़ाने का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। हालाँकि, राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत, 50/30/10 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना के घटकों, विशेष एकल आयुष अस्पतालों के उन्नयन के साथ-साथ आयुष चिकित्सकों की संविदात्मक तैनाती संबंधी प्रावधान बनाए गए हैं। इस संबंध में, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से अपेक्षा है कि वे योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से अपने प्रस्तावों को प्रस्तुत करें।

(ग): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, कल्लाकुरिची निर्वाचन क्षेत्र सहित तमिलनाडु के ग्रामीण और अल्प सेवा वाले क्षेत्रों में वर्तमान में कार्यरत आयुष चिकित्सकों की संख्या का रखरखाव राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

(घ) एवं (ङ): आयुष मंत्रालय वर्ष 2021-22 से आयुर्ज्ञान नामक एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य एक्स्ट्रा म्यूरल अनुसंधान गतिविधियां प्रदान करके आयुष में अनुसंधान एवं नवाचार को सहयोग देना तथा शैक्षणिक गतिविधियां, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण आदि द्वारा शिक्षा प्रदान करना है। इस योजना के 03 घटक हैं नामत: (i) आयुष में क्षमता निर्माण एवं सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) (ii) वित्त वर्ष 2021-22 से आयुष में अनुसंधान तथा नवाचार और वित्त वर्ष 2023-24 से योजना के तहत तीसरा घटक नामत: आयुर्वेद जीवविज्ञान एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान भी जोड़ा गया है। आयुष में क्षमता निर्माण और सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) के तहत, आयुष कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए, योजना दिशानिर्देश में निहित प्रावधानों के अनुसार, पात्र संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

*****